संख्या- 113 / 2020 /678 /चार-2020-1(बजट)2017

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2020

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-01/उ0प्र0सं0नि0-2(96)/2020-21 दिनांक 06 अप्रैल , 2020 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में संग्रहालय निदेशालय लखनऊ के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0 1817.90 लाख (रूपये अट्ठारह करोड. सत्रह लाख नब्बे हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कुल धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति भी प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत धनराशि का आहरण वि0ह0 पुस्तिका के संगत नियमों के अनुसार राजकोष से किया जाएगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ कही आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सक्षम किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 , दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 , दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 113 / 2020 / 678 (1)/चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.upnic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 113 / 2020/ 678 /चार-2020 -1 (बजट)/2017 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 का संलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2020 -21 के लिये जारी स्वीकृतियों का विवरण

मानक मदें	धनराशि (लाख रूपये में)
107- संग्रहालय निदेशालय	
03- अधिष्ठान	
01- वेतन	950.00
02- मजदूरी	20.00
03-मॅहगाई भत्ता	237.50
04-यात्रा व्यय	5.70
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.40
06-अन्य भत्ते	2.20
07-मानदेय	0.60
08-कार्यालय व्यय	4.50
09- विद्युत देय	160.00
10-जलकर/जल प्रभार	1.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	3.30
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00
13-टेलीफोन पर व्यय	1.50
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.20
18-प्रकाशन	1.50
26- मशीने और सज्जा /उपकरण और संयत्र	3.00
29-अनुरक्षण	12.50
42-अन्य व्यय	307.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.50
49-चिकित्सा व्यय	15.00
51-वर्दी व्यय	1.00
52-पुनरीक्षित वेतन अवशेष (राजकीय)	0.00
55- मकान किराया भत्ता	63.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	8.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00
(रूपये अट्ठारह करोड सत्रह लाख नब्बे हजार मात्र) योग	**1817.90**

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/